प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 28.03.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना शारदानगर पुलिस बस संख्या UP 34 T 2805 के चालक व कण्डेक्टर को गिरफ्तार कर बस की डिग्गी से 10 पेटी व बस के अन्दर गेर बक्शा के पास से 04 पेटी कुल 14 पेटी (कुल 348 बोतल जिसकी कीमत 72867 है) अवैध अग्रेजी शराब बरामद किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी), क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल मार्ग दर्शन में बृजेश कुमार मौर्य थानाध्यक्ष थाना शारदानगर के नेतृत्व में थाना शारदानगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.03.2024 को लखीमपुर शारदानगर रोड थाना गेट के सामने चेकिंग के दौरान समय 20.10 बजे बस संख्या UP 34 T 2805 के चालक व कण्डेक्टर को गिरफ्तार कर बस की डिग्गी से 10 पेटी व बस के अन्दर गेर बक्शा के पास से 04 पेटी (कुल 14 पेटी/कुल 348 बोतल जिसकी कीमत 72867 रुपये है) अवैध अग्रेजी शराब बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना शारदानगर पर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.03.2024 को आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत थाना शारदानगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री अम्बेश्वर दत्त त्रिपाठी मय हमराही पुलिस बल के लखीमपुर शारदानगर रोड थाना गेट के सामने चेकिंग कर रहे थे, तभी लखीमपुर की तरफ से बस संख्या UP 34 T 2805 सवारी

भरकर आ रही थी जिसे पुलिस बल द्वारा रोककर बस को चेक किया गया तो बस मे कण्डेक्टर साइड की डिग्गी मे 10 पेटी व बस के अन्दर ड्राइवर के पास गेयर बक्शा के ऊपर से 04 पेटी कुल 14 पेटी जिन पेटियो मे कुल 348 बोतल अवैध अग्रेजी शराब थी बरामद हुई जिनके कागजात बस ड्राइवर व कण्डेक्टर द्वारा नही दिखा सके व पूछने पर बताया कि उक्त शराब की पेटियो को किसी मानू के नाम के व्यक्ति द्वारा तिकुनिया बस स्टाप लखीमपुर मे रखा था व बताया था कि उक्त शराब की पेटियो को वह निघासन मे उतार लेगा जिसके सम्बन्ध मे थाना शारदानगर पर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम विरुद्ध कण्डेक्टर, बस ड्राइवर व मानू के विरुद्ध पंजीकृत कर बस को अन्तर्गत धारा 207 MV ACT मे शीज कर कब्जा पुलिस मे लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

1.सम्मू अली पुत्र रहमद अली निवासी ग्राम गदियाना थाना मझगई जनपद खीरी (बस कण्डेक्टर)
2.नरेश गौतम पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी बुद्धा पुरवा चौकी झण्डी थाना निघासन जनपद खीरी (बस चालक)

<u>वांक्षित अभियुक्त का नाम</u>

1.मानू पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

1.मु0अ0सं0 80/2024 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम

<u>अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी का विवरण</u>

1.पहली पेटी में BLENDERS PRIDE - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
2.दूसरी पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 48 बोतल X 180 ML = 8.640 लीटर
3.तीसरी पेटी में BLENDERS PRIDE - 48 बोतल X 180 ML = 8.640 लीटर
4.चौथी पेटी में ROYAL STAG - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
5.पाँचवी पेटी में ROYAL STAG - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
6.छठी पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
7.सातवी पेटी में ROYAL STAG - 48 बोतल X 180 ML = 8.640 लीटर
8.आठवी पेटी में IMPERIAL BLUE - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
9.नौवीं पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 24 बोतल X 375 = 9 लीटर
10.दसवीं पेटी में ROYAL STAG - 24 बोतल X 375 = 9 लीटर
11.ग्यारहवीं पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
12.बाहरहवी पेटी में IMPERIAL BLUE - 12 बोतल X 750 ML = 9 लीटर
13.तेरहवीं पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 48 बोतल X 180 ML = 8.640 लीटर
14.चौदहवी पेटी में MCDOWELLS NO ONE - 24 बोतल X 375 = 9 लीटर
कुल 348 बोतल (124.5 लीटर) अवैध अग्रेजी शराब जिसकी कीमत 72867 रुपये है
15.एक अदद बस संख्या UP 34 T 2805 – सीज धारा 207 MV ACT व 72 आबकारी अधिनियम

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1.उ0नि0 अम्बेश्वर दत्त त्रिपाठी थाना शारदानगर खीरी
2.हे0का0 प्रमोद कुमार थाना शारदानगर खीरी
3.का0 करन कुमार थाना शारदानगर खीरी
4.का0 रोहित गौतम थाना शारदानगर खीरी
5.का0 चन्द्रभान रावत थाना शारदानगर खीरी
6.का0 सिद्धार्थ गौतम थाना शारदानगर खीरी

अपराध शाखा खीरी द्वारा (कुल 1,7830583.22 0 रुपये) से सम्बन्धित खाद्यान घोटाले मे वांछित गोदाम प्रभारी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपराध शाखा खीरी द्वारा वर्ष 2022 से वांछित चल रहे अभियुक्त दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 देशराज सिंह नि0 ग्राम टीकमपुर कोटवाँ थाना पटेरहवा जिला कुशीनगर हाल पता - 3/1208 जानकीपुरम विस्तार लखनऊ को अपराध शाखा खीरी द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मैलानी पर वादी मुकदमा श्री गंगा प्रसाद प्रबंधक उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आ0व0वि0 लखीमपुर द्वारा मु0अ0स0 299/22 धारा 406/409 भादवि 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत पंजीकत कराया गया था। जिसकी विवेचना थाना मैलानी से होने के पश्चात अपराध शाखा को स्थानांतरित की गई। अभियुक्त वर्ष 2022 मे ब्लाक बाकेगंज मे गोदाम प्रभारी के रुप मे नियुक्त रहा है। जिसमे भारतीय खाद्य निगम से संबंधित विभिन्न योजनाओ के गेहूं, चावल, चना, नमक, चीनी एव खाद्य तेल आदि के वितरण हेतु उचित दर विक्रेताओ को आवंटन करने हेतु ब्लाक मुख्यालय पर निर्गत किया गया था । जिसमे अभियुक्त दिनेश सिंह उपरोक्त के स्टाक/गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण व जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त द्वारा अपने अभिलेख को अपने पास छिपाते हुये उचित वितरण नही कराया गया और धोखाधडी व कालाबाजारी करते हये सरकारी राशन की दुकानो के खाद्यान 1 करोड 78 लाख 30583.22 रुपये के गेहुं , चावल ,चीनी, चना, नमक, खाद्य तेल आदि को बेच कर गमन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत से विवेचना मे सहयोग नही कर रहा था और फरार चल रहा था। जिसे दिनांक 27.03.2024 को अभियुक्त के घर 3/1208 जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. निरीक्षक विजय प्रताप सिंह (अपराध शाखा खीरी)
2. हे0का0 रुपेश कुमार (अपराध शाखा खीरी)

थाना तिकुनियाँ पुलिस द्वारा, 90 ग्राम नशीला पाउडर (अल्प्राजोलम) बरामद करके इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लाम पुत्र नजीर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना तिकुनियां पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लाम पुत्र नजीर खां नि0 कस्बा तिकुनिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी को 90 ग्राम नशीला पाउडर (अल्प्राजोलम) के साथ बरसोला कला रेलवे क्रासिंग के पास थाना तिकुनियां जनपद खीरी से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना तिकुनियाँ पर मु0अ0सं0 68/2024 धारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लाम पुत्र नजीर खां नि0 कस्बा तिकुनिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगी

90 ग्राम नशीला पाउडर (अल्प्राजोलम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 आलोक कुमार राय
2. हे0का0 सुभाष निषाद
3. का0 सुमित कुमार
4. का0 हरिकेश सिंह

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र बेचेलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र बेचेलाल नि0ग्राम राजापुर थाना खमरिया जनपद खीरी सम्बन्धित मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम व 272 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कमलेश पुत्र बेचेलाल नि0ग्राम राजापुर थाना खमरिया जनपद खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 0065/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना खमरिया जनपद खीरी
2. मु0अ0स0 185/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खमरिया जनपद खीरी
3. मु0अ0स0 440/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना ईशानगर
4. मु0अ0स0 319/2022 धारा 60(2) आबाकारी अधिनियम थाना ईशानगर जनपद खीरी
5. मु0अ0स0 366/2019 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी
6. मु0अ0स0 271/2019 धारा 147/148/149/332/353/504/506 भा0द0वि0 थाना ईशानगर जनपद खीरी ।
7. मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि0 थाना खमरिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुनील कुमार बाबु अवस्थी
2.हे0का0 विनोद गुप्ता
3. हे0का0 सतीश यादव

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर जिला बदर अभियुक्त अकबर पुत्र गोबरे को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को फूलबेहड़ पुलिस द्वारा ग्राम देवरिया पुलिया वह्द ग्राम देवरिया से 01 नफर जिला बदर अभियुक्त अकबर पुत्र गोबरे निवासी ग्राम देवरिया थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तारी किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है । उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या – D2017104301964 राज्य बनाम अकबर उपरोक्त अंतर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में दिनांक 04.03.2024 को जिला बदर का आदेश पारित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अकबर पुत्र गोबरे निवासी ग्राम देवरिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0142/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण निवारण अधिनियम

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0158/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना फूलबेहड़ खीरी
2. मु0अ0सं0 0404/19 धारा 3(1)(ध), 3(1)(द) SC/ST ACT व 323,452,504,506 भादवि0, थाना फूलबेहड़ खीरी
3. मु0अ0सं0 0293/20 धारा 2(बी)(i)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना फूलबेहड़ खीरी
4. मु0अ0सं0 0295/20 धारा 3/25 आयुध अधि0, थाना फूलबेहड़ खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्रवण कुमार थाना फूलबेहड़ खीरी
2. हे0का0 महेश कुमार थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. हे0का0 धनन्जय मौर्य थाना फूलबेहड़ खीरी
4. का0 मोनू थाना फूलबेहड़ खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त कधई पुत्र गोवरे को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त कधई पुत्र गोवरे नि0ग्राम सिंगहा थाना हैदराबाद जिला खीरी को संबंधित वाद संख्या 853/2021 धारा 60 EX ACT कंधई थाना हैदराबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कधई पुत्र गोवरे नि0ग्राम सिंगहा थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सन्तपाल सिंह राठौर थाना हैदराबाद ,खीरी
2. हे0का0 अरुण रावत थाना हैदराबाद ,खीरी
3. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना हैदराबाद ,खीरी

थाना गोला पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.03.2024 को थाना गोला पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तों को जुआँ खेलते हुए 52 अदद ताश के पत्ते व 1,650 रु0 बरामद कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गोला पर मु0अ0सं0 232/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रिहान पुत्र अफजल खान निवासी भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी
2. शीब्बू पुत्र अतुल्ला निवासी भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी
3. खुशी कुरैशी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1,650 रु0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
2. उ0नि0 राजन कुमार
3. का0 सुर्यप्रताप राघव
4. का0 गौरव कुमार
5. का0 मोहित कुमार

थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र रामनरेश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम नौसर जोगी थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ बह्दग्राम मोहनपुरवा से गिरफ्तार किया गया उपरोक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी/बरामदगी फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

1.कुलदीप कुमार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम नौसर जोगी थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 चेतन तोमर थाना भीरा जनपद खीरी ।
2.हे0का0 कुलदीप कुमार थाना भीरा जनपद खीरी ।
3.हे0का0 राजू वर्मा थाना भीरा जनपद खीरी ।
4.का0 मोहित कुमार थाना भीरा जनपद खीरी ।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा निवासी भैठिया थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 082/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण

1.विकास शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा निवासी भैठिया थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी

1.एक अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 प्रेमचन्द्र रावत थाना मैगलगंज खीरी,
2.हे0का0 रामकिशोर थाना मैगलगंज खीरी,
3.का0 नितिन कुमार थाना मैंगलगंज खीरी।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त राकेश शुक्ला पुत्र साहबलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त राकेश शुक्ला पुत्र साहबलाल निवासी ग्राम जम्हौरा थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ के गिरफ्तार कर थाना नीमगांव पर मुअ0स0-103/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

अभियुक्त का विवरण

1.राकेश शुक्ला पुत्र साहबलाल निवासी ग्राम जम्हौरा थाना नीमगांव जनपद खीरी

आभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0- 97/2024 धारा - 147,336,352 भा0द0वि0
2.मु0अ0स0 -103/2024 धारा -3/25 आयुध अधिनियम

बरामदगी का विवरण

1.01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 आशीष सहरावत थाना नीमगांव जनपद खीरी
2.का0 अनुज कुमार नीमगांव जनपद खीरी

<u>थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त सुभाष पुत्र भीमसेन को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त सुभाष पुत्र भीमसेन निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए कुल 06 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1950/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 249/24 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

1-थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/22 धारा 406/409 भादवि व ¾ ई0सी0 एक्ट (1) 26/07/22 में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 देशराज सिंह निवासी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 490 लीटर अवैध शराब बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>490 लीटर अवैध शराब</u>** व **<u>06 शराब भट्टी</u>** बरामद कर **<u>22 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>22 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।